LEGAL FRAMEWORK FOR PROTECTING

COMMON

LANDS IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ की संचायती संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा

Disclaimer: There is no copyright on this publication. You are free to share, translate and distribute this material. We request that the source be acknowledged and a copy/link of your reprint, report or translation be sent to the CPR-Namati Environmental Justice Program.

Research: Centre for Policy Research-Namati Environmental Justice Program

Translation: Nidhi Agarwal

Design: Vani Subramanian

Print: Printforce

This research work has been supported by the Duleep Matthai Nature Conservation Trust (DMNCT)

अस्वीकरण: इस प्रकाशन पर कोई कॉपीराइट नहीं है।

आप इसकी सामग्री का अनुवाद कर, लोगों के साथ बांट या वितरण कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप यदि इसे पुनः प्रकाशित करते हैं, या अनुवाद करते हैं, तो इस प्रकाशन का आभार देते हुए, उसकी एक प्रति सी.पी.आर.–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम को ज़रूर भेजें।

रिसर्च: सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम

हिंदी अनुवाद: निधि अग्रवाल

रूपरेखा: वाणी सुब्रमणियन

मुद्रण: प्रिन्टफोर्स

इस प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग 'दूलीप मथ्थाई नेचर कोनजरवेशन ट्रस्ट' से प्राप्त हुआ।

LEGAL FRAMEWORK FOR PROTECTING

COMMON

LANDS IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ की संचायती संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा

संचायती संपत्ति क्या होती है?

संचायती संपत्ति या संचायती संपत्ति संसाधन शब्दों का उपयोग वहां किया जाता है जहां यह संपत्ति या संसाधन कुछ लोगों के समूह के उपयोग या स्वामित्व में होते हैं। इन क्षेत्रों के कई विभिन्न प्रकार के उपयोग रहते हैं, जैसे कि सामुदायिक चारागाह, सामुदायिक वन, मछली सुखाने व अन्य तरीकों से बेचने के लिए तैयार करना, भूमि का उपयोग कृषि वनस्पतियों, शमशान, जलग्रहण क्षेत्र, गांव के तालाबों, नदियों, नालों और उनके किनारों तथा उनकी ताल के रूप में होता है।

कानूनी रूप से संचायती संसाधनों को, एक व्यक्ति विशेष की न होकर, एक समूह की निजि संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है। जिस समय तक संचायती क्षेत्र समुदायों के स्वामित्व और उपयोग में थे, तब तक इनके हक़ स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। लेकिन समय के साथ-साथ, सरकारी नीतियों के कारण संभव है कि स्वामित्व और उपयोग के यह अधिकार खत्म, अधिग्रहीत या बंद कर दिए गए हों। परिणामस्वरूप, आज संचायती संपत्ति या संचायती संसाधनों को आम तौर पर ''वह श्रेणी जिस पर अस्पष्ट अधिकार मौजूद हैं''[1] के रूप में देखा जाता है, जिसे स्पष्ट या परिभाषित करना ज़रूरी है।

इस जानकारी दस्तावेज़ में हम अधिकतर भूमि संबंधित संचायती संपत्ति के विषय में बात करेंगे।

1 चोपरा, कंचन। 2001। वेस्टलैन्ड्स ऐंड कॉमन प्रोपर्टी लैंड रिसोर्सिस सेमिनार। http://www.india-seminar.com/2001/499/499%20kanchan%20chopra.html, जानकारी 3 फरवरी, 2018 को प्राप्त की गई।

What are commons?

Commons, or Common Property Resources (CPR) are used interchangeably to understand areas that are under use or ownership of groups of people. These areas can have a variety of uses including community pastures, community forests, fish drying and processing, lands used for agricultural foliage, burial grounds, watershed drainages, village ponds, rivers, rivulets as well as their banks and beds.

Legally CPRs have been referred to as private property for a group, in contrast to an individual. Till the time common areas were in possession of communities and in use, the rights to these were clearly defined. However, over a period of time these use or ownership rights could have eroded, acquired or extinguished due to government policy. As a result, today commons or CPRs are being viewed in general parlance as a "category on which ambiguous rights exist"[1], that would need to be clarified or defined.

In this information tool, we are largely dealing with land based commons.

1 Chopra, Kanchan.2001. Wastelands and Common property land resources Seminar. http://www.india-seminar.com/2001/499/499%20kanchan%20chopra.html accessed on February 3, 2018.

How are common lands recognised in Chhattisgarh?[2]

What are their uses, and which institutions are responsible for their administration?

छत्तीसगढ़ में संचायती भूमि की पहचान कैसे की जाती है?[2]

इसके क्या उपयोग हैं और इनके प्रशासन के लिए कौन से संस्थान ज़िम्मेदार हैं?

2 Explanation to Section 129 C (i-a) and (i-b) of the Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993.

2 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 सी (1 ए) और (1 बी) का स्पष्टीकरण

संचायती संपत्ति के प्रकार	विवरण	ज़िम्मेदार संस्थान		
		राज्य	जिला या नगरपालिका	खंड और गांव
राजस्व संचायती संपत्ति • चारागाह • गोथान • खलिहान • शमशान • चमड़ी उतारने की जगह • मवेशी खाने • भूसी निकालने की जगह	**खाली पड़ी या 'बंजर भूमि'** जो ज़्यादातर राज्य के स्वामित्व में हैं। इस भूमि को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे कि चरान, मवेशियों के घर बनाने और खेती के लिए।	राजस्व विभाग	ज़िला कलेक्टर	• तहसीलदार • खण्ड पंचायत • ग्राम पंचायत
संचायती जल संसाधन • तालाब • झील • जलीय क्षेत्र	**अंतरिक जलीय क्षेत्र** जिनके पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।	राजस्व या वन विभाग	नगरपालिका (शहरी क्षेत्रों में)	ग्राम पंचायत
संचायती वन संसाधन • पंचायती वन • ग्राम वन	**वनों के छोटे क्षेत्र** जो बेहद उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें कई प्रकार की गैर-काष्ठीय वनोपज मिलती है। इन गैर-काष्ठीय वनोपज के विभिन्न उपयोग होते हैं जैसे कि, औषधीय, सुगन्धित, खाने योग्य वनस्पति आदि।	प्रमुख मुख्य वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (अनुमण्डल स्तर पर)	वन मण्डल अधिकारी (डी.एफ.ओ.) ग्राम सभा

ऊपर दी गई संस्थानों की सूचि केवल सांकेतिक है जिसमें उन संस्थानों के नाम दिए गए हैं जो ज़िम्मेदार हैं और इन भूमियों के प्रशासन के संबंध में उनसे संपर्क किया जा सकता है।

TYPE OF COMMONS	DESCRIPTION	RESPONSIBLE INSTITUTIONS		
		STATE	DISTRICT OR MUNICIPALITY	BLOCK & VILLAGE
REVENUE COMMON LANDS • Grazing lands • *Gothans* • *Khalihans* • Burial grounds • Skinning grounds • Cattle pounds • Threshing grounds	**Unoccupied or 'waste lands'** which are owned mostly by the State. These lands are used for a variety of purposes, including but not limited to: grazing, housing cattle and harvesting.	Revenue Department	District Collector	• Tahasildar • Block Panchayat • Village Panchayat
WATER COMMONS • Ponds • Lakes • Wetlands	**Inland water bodies** whose waters can be used for irrigational purposes.	Revenue or Forest Department	Municipalities (Urban areas)	Gram Panchayat
FOREST COMMONS • Panchayat forests • Village forests	**Small patches of forests** which are useful since a variety of Non-Timber Forest Produce (NTFP) can be found which have a wide range of uses which include medicinal, aromatic, edible plant products, etc.	Principal Chief Conservator of Forests (PCCF)	Chief Conservator of Forests (CCF) (at circle level)	• Divisional Forest Officer (DFO) • Gram Sabha

The above list is only indicative of the institutions which are responsible and can be approached for the administration of these lands.

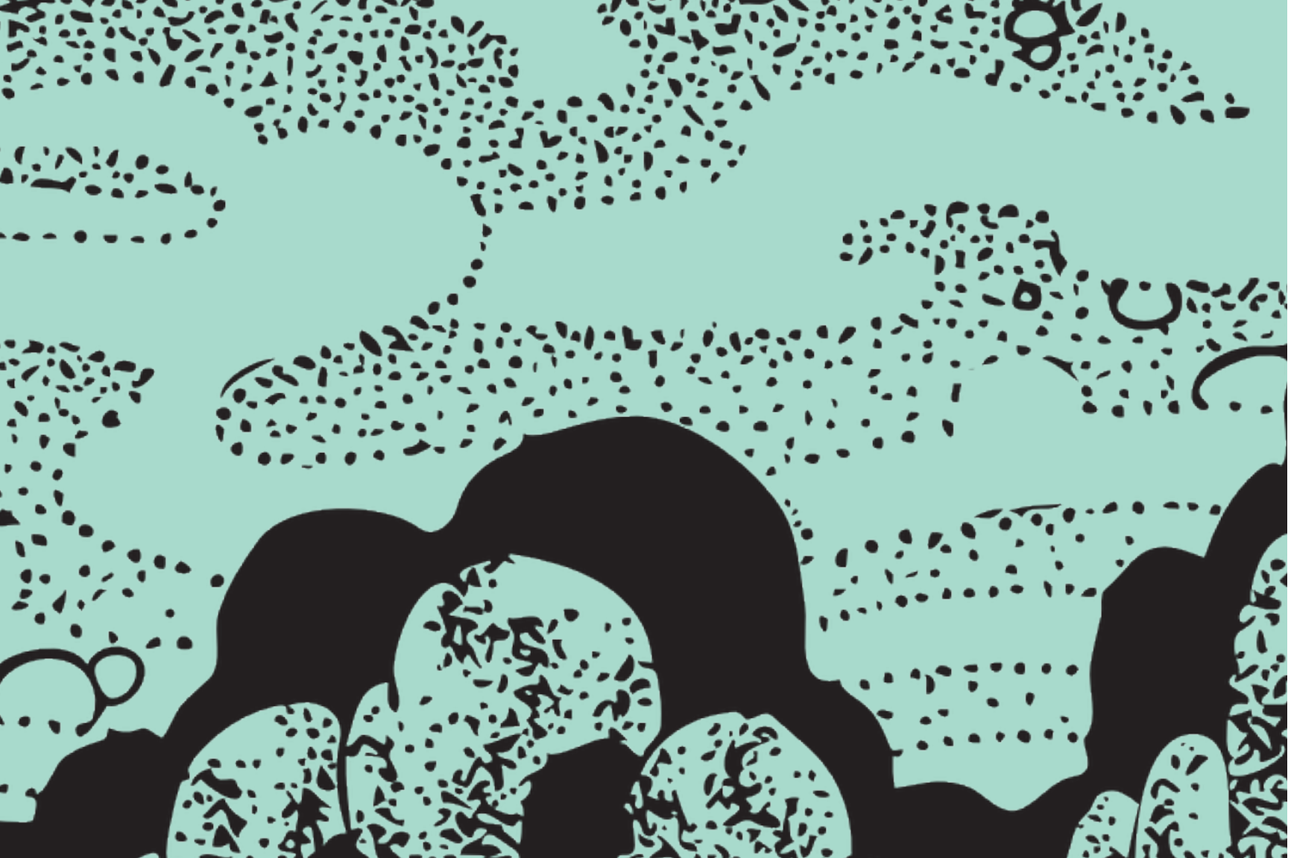

Which national laws have a bearing on the commons?

संचायती संपत्ति पर किन राष्ट्रीय कानूनों का प्रभाव पड़ता है?

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

आम नाम	वन अधिकार अधिनियम
अधिनियम का उद्देश्य	पारंपरिक वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सही करने के लिए बनाया गया अधिनियम। पारंपरिक वनवासियों के कुछ विशिष्ट अधिकारों को मान्यता और उनकी बंदोबस्ती करते हुए वनों के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने की पहल।
सामुदायिक वन संसाधन की परिभाषा	• संचायती वन भूमि गांव की पारंपरिक सीमाओं के अंदर या चरवाहा समुदायों की मौसमी उपयोग के नरान गोचर प्रदेश में स्थित होती है। • इसमें पारंपरिक रूप से अधिकार दिए गए आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र शामिल होते हैं।
उपलब्ध अधिकार	• सुरक्षा • पुनर्जनन • संरक्षण • प्रबंधन } सामुदायिक वन संसाधनों की, जिनकी वे पारंपरिक रूप से सुरक्षा व संरक्षण करते आए हैं।
अधिकारों की बंदोबस्ती के लिए प्रक्रिया	• अधिकारों के प्रकार और दायरे को स्थापित करना • सामुदायिक वन संसाधनों की पुष्टि • पुष्टि कर लेने के बाद एक आम प्रस्ताव पारित करना • ग्राम सभा से अंतिम स्वीकृति

THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006

COMMON NAME	THE FOREST RIGHTS ACT (FRA)
Purpose of the Act	An enactment to correct the historical injustice suffered by traditional forest dwellers and protecting the ecological balance in forests by recognising and vesting certain rights for the traditional forest dwellers.
Definition of a Community Forest Resource (CFR)	• Common Forest Land, which is situated within traditional boundaries of villages or in the seasonal use of landscape of a pastoral community. • It includes reserve forests, protected forests and protected areas to which there existed traditional access.
Available Rights	• Protection • Regeneration • Conservation • Management } of CFRs which have been traditionally protected or conserved by them.
Procedure for vesting of rights	• Determination of the nature and extent of the rights • Verification of the CFRs • Passing of a common resolution after the verification is complete • Final approval by the Gram Sabha

अन्य कानून

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2011	CRZ अधिसूचना के अंतर्गत राज्यों को तटीय ज़ोन प्रबंधन मानचित्र बनाने होते हैं जिनमें मछुआरा समुदाय के संचायती संपत्ति अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट रूप से दर्शाना ज़रूरी है।
उचित मुआवजे और भू-अधिग्रहण में पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLARR), 2013	RFCTLARR के अंतर्गत, जहां पर भूमि अधिग्रहीत की जानी है, वहां का सामाजिक प्रभाव आंकलन करना ज़रूरी है। सामाजिक प्रभाव आंकलन करते समय, प्रभावित होने वाली संचायती संपत्तियों का विवरण शामिल करना ज़रूरी है। अधिनियम के अनुसार, एक पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम तैयार करना भी ज़रूरी है। यह स्कीम बनाते समय, उपयोग किए जा रहे प्रत्येक संचायती संपत्ति संसाधन का विवरण देना ज़रूरी है।
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तारीकरण (PESA) अधिनियम, 1996	PESA अधिनियम ग्राम सभा को शक्तियां देता है कि वे लोगों के सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा करें। सूक्ष्म जलाशयों और ग्राम बाज़ारों का नियोजन और प्रबंधन पंचायतों के हाथ में है।

OTHER RELEVANT LAWS

THE COASTAL REGULATION ZONE (CRZ) NOTIFICATION, 2011	The CRZ Notification requires States to prepare Coastal Zonal Management Maps in which the common properties of fishing communities must be clearly demarcated.
THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (RFCTLARR) ACT, 2013	The RFCTLARR requires a Social Impact Assessment (SIA) to be carried out in the area where land is to be acquisitioned. While carrying out the SIA, details of the extent of common properties likely to be affected must be included. As per the Act, a Rehabilitation and Resettlement Scheme is also required to be prepared. While preparing the scheme, details of any CPRs being used must be specified.
THE PANCHAYATS EXTENSION TO SCHEDULED AREAS (PESA) ACT, 1996	The PESA Act, empowers the Gram Sabhas to safeguard the community resources of the people. The planning and management of minor water bodies and village markets lie with the Panchayats.

Which state laws have a bearing on the commons?

संचायती संपत्ति पर किन राज्य कानूनों का प्रभाव पड़ता है?

THREAT TO THE COMMONS / ISSUES PERTAINING TO THE COMMONS	AVAILABLE LAWS	RESPONSIBLE INSTITUTIONS	POWERS AND FUNCTIONS OF THE INSTITUTIONS
CONSERVATION OF COMMONS	Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993	Gram Panchayat	It is the function of the Gram Panchayat to ensure the construction, repair and maintenance of public wells, ponds and tanks.
REGULATION OF GRAZING LANDS	Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959	District Collector	In case of unoccupied or waste lands, the Collector has the power to set apart land for the exercise of *nistari* rights (necessities in the carrying on of the business of living).[3] A scheme called a *Nistar Patrak*, has to be prepared by the Collector to determine the terms and conditions on which the grazing land and forest produce will be used. A draft of the same has to be circulated among the villagers.
	Chhattisgarh Municipal Corporations Act, 1961	Municipal Council	In order for a person to graze his cattle on common pasture land, permission has to be taken from the Council. The Council will let out the common grazing lands from time to time at a fee.
REMOVAL OF ENCROACHMENTS Encroachment here refers to the unauthorised occupation of lands by large private players and commercial enterprises. The term however has been misused at times and rightful users of the land have been removed from their lands by being labelled as encroachers, which goes against the spirit of what was laid down in the Jagpal Singh decision.	Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959	Tahasildar	In case of any obstruction which impedes the free use of a recognised road, path or common land of village or impedes the road or water course or source of water, the Tahasildar may order for the removal of such obstruction. In case the obstruction is still not removed, the Tahasildar may get the obstruction removed and recover the cost from the one causing the obstruction. The Tahasildar can also summarily evict the unauthorised occupier and impose a fine of up to Rs.1000 and Rs. 20 will be added for every additional day the encroachment continues after the eviction order.
	Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993	Gram Panchayat	It is a function of the Gram Panchayat to ensure the removal of obstructions and projections on to public streets or sites which are open to use by the public. In line with the above function, the Gram Panchayat has the power to remove the obstructions and projections as per the procedure prescribed in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959.
	Chhattisgarh Municipal Corporations Act, 1961	Chief Municipal Officer; Municipal Council	In cases where any part of a building encroaches on to a public street so as to cause a hindrance to safe passage, the Municipal Council can serve a written notice asking the owner of the building to remove such encroachments. The Chief Municipal Officer, after serving a notice, can remove fixtures from streets which cause encroachments on to any portion of the street, channel, drain, well or tank.

contd...

3 Ramanathan, U, Common Land and Common Property Resources, published in Praveen K. Jha ed., Land Reforms in India – Volume 7 Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh (New Delhi: Sage, 2002), p. 204

संचायती संसाधनों को खतरा/से संबंधित मुद्दे	उपलब्ध कानून	ज़िम्मेदार संस्थान	संस्थानों की शक्तियां और ज़िम्मेदारियां
संचायती संसाधनों का संरक्षण	छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत की यह ज़िम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक कुओं, तालाबों और टंकियों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करे।
चारागाहों का विनियमन	छत्तीसगढ़ भू–राजस्व कोड, 1959	ज़िला कलेक्टर	खाली पड़ी या बंजर भूमि होने पर, कलेक्टर के पास शक्तियां हैं कि वह इस भूमि को निस्तारी अधिकारों (रोज़मर्रा का जीवन चलाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए) के लिए अलग रख सकते हैं।[3] ज़िला कलेक्टर को निस्तार पत्रक नाम की एक स्कीम तैयार करनी होती है जिसमें चारागाह और वन भूमि को उपयोग करने की शर्तें दी गई होती हैं। इसका मसौदा गांव वालों में बांटना होता है।
	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961	नगरपालिका	संचायती चारागाह भूमि पर अपने मवेशी चराने के लिए, व्यक्ति को नगरपालिका से अनुमति लेनी होती है। नगरपालिका समय–समय पर चारागाह को एक निर्धारित शुल्क पर चरान के लिए खोलती है।

अतिक्रमण हटाना

यहां पर अतिक्रमण का मतलब है निजि और वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा ज़मीन का अनाधिकृत कब्ज़ा। लेकिन इस शब्द का कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन के अधीकृत उपयोगकर्ताओं को अतिक्रमण करने वाला कह कर उन्हें हटाया दिया जाता है, जो कि जगपाल सिंह फैसले के खिलाफ़ है।

छत्तीसगढ़ भू राजस्व कोड, 1959	तहसीलदार	किसी भी स्वीकृत सड़क, रास्ते या गांव की संचायती भूमि के स्वतंत्र उपयोग में आने वाली बाधा, या पानी के रास्ते या स्रोत में आने वाली बाधा की स्थिति में, तहसीलदार ऐसी बाधा को हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं। यदि फिर भी बाधा नहीं हटाई जाती, तो तहसीलदार उस बाधा को हटवा सकते हैं और उसपर हुए खर्च की वसूली बाधा पैदा करने वाले से कर सकते हैं। तहसीलदार अनाधिकृत कब्ज़ा करने वाले को बेदखल करके रु. 1,000 का जुर्माना भी कर सकते हैं और इसमें आदेश होने के बाद भी कब्ज़ा खाली न करने पर, हर अतिरिक्त दिन का रु. 20 जोड़ा जाएगा।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993	ग्राम पंचायत	यह ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी है कि वह आम लोगों के उपयोग के लिए खुले सार्वजनिक सड़कों या स्थलों पर किसी बाधा या निर्माण को हटाना सुनिश्चित करे। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास शक्ति है कि वह छत्तीसगढ़ भू राजस्व कोड, 1959 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार इन बाधाओं और निर्माण को हटा सकती है।
छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961	प्रमुख नगरपालिका अधिकारी; नगरपालिका काउंसिल	यदि कोई भवन सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करता है, जिससे कि आने–जाने की सुरक्षा में बाधा आती है, तो नगरपालिका काउंसिल अतिक्रमण हटाने के लिए, उसके मालिक को लिखित नोटिस दे सकती है। प्रमुख नगरपालिका अधिकारी, नोटिस भेजने के बाद, सड़कों, नहर, नालियों, कुंए या टंकी से ऐसे बाधक निर्माण को हटा सकते हैं।

3 रामानाथन यू., कॉमन लैंड ऐंड कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्सेज़, जिसे प्रवीन के. झा संपादित लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया – वॉल्यूम 7 इशूज़ ऑफ इक्विटि इन रूरल मध्य प्रदेश (नई दिल्लीः सेज, 2002) के पृष्ठ 204 पर प्रकाशित किया गया है।

अतिक्रमणों को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करने की क्या आवश्यकता है?

अतिक्रमणों को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि:

- राजस्व रिकार्ड ठीक से नहीं रखे जाते और जिस भूमि पर सवाल उठा है, उसके स्वामित्व को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है।
- अक्सर एक ही ज़मीन पर कई लोगों का दावा रहता है।
- ज़मीन के सही उपयोगकर्ताओं को अतिक्रमण करने वाला बता कर उनकी ज़मीन से उन्हें बेदख़ल कर दिया जाता है।

What is the need to carefully ascertain encroachments?

The need to carefully ascertain encroachments arises since:

- The land records are not maintained very well and it is difficult to ascertain the ownership of the land in question.
- There are often more than one claims with respect to a particular piece of land.
- The rightful users of the land can also be labelled as encroachers and alienated from their lands.

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF THE SUPREME COURT'S JUDGEMENT OF JAGPAL SINGH & ORS V. STATE OF PUNJAB & ORS?

In this case, certain houses had been constructed by private individuals on a village pond which had been approved by the local panchayat. When the District Commissioner found that the village pond was being used to provide water for the cattle, he directed that the private individuals be evicted from the land. These individuals filed a Special Leave Application before the Supreme Court after a Writ Petition was dismissed by the High Court of Punjab and Haryana.

The two judge bench of Justice Markandey Katju and Justice Gyan Sudha Mishra recognised that common village lands were being encroached upon by private individuals and there was thus a need to remove all the existing encroachments and ensure that such encroachments were not regularised.

QUOTES FROM THE JUDGEMENT

"The protection of the common rights of the villagers were so zealously protected that some legislation expressly mentioned that even the vesting of property with the State did not mean that the common rights of villagers were lost by such vesting."

"In many states Government orders have been issued by the State Government permitting allotment of Gram Sabha land to private persons and commercial enterprises on payment of some money. In our opinion all such Government orders are illegal, and should be ignored."

"In this connection we wish to say that our ancestors were not fools. They knew that in certain years there may be droughts or water shortages for some other reason, and water was also required for cattle to drink and bathe in etc. Hence they built a pond attached to every temple, etc. These were their traditional rain water harvesting methods, which has served them for thousands of years."

"Regularisation should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government Notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य सरकार व अन्य मामले में दिए गए फैसले का क्या महत्व है?

इस मामले में, गांव के तालाब की ज़मीन पर कई परिवारों ने अपने घरों का निर्माण कर लिया था, जिसकी स्थानीय पंचायत ने अनुमति दी थी। जब ज़िला कमिश्नर को पता चला कि गांव के तालाब के पानी का उपयोग मवेशियों के लिए हो रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस भूमि से सभी निजि निर्माणों को हटाया जाए। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों द्वारा जनहित याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद, निर्माण करने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश अर्जी दर्ज कर दी।

जस्टिस मारकन्डे कट्जू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच ने माना कि गांव की संचायती ज़मीन पर लोगों द्वारा निजि अतिक्रमण किए जा रहे हैं और इसलिए सभी मौजूद अतिक्रमणों को हटाने की ज़रूरत के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इन अतिक्रमणों का नियमन न किया जाए।

फैसले की कुछ पंक्तियां

''गांव वालों के संचायती अधिकारों को इतने उत्साहपूर्वक सुरक्षा प्रदान की गई है कि कुछ कानूनों में यहां तक कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को भी किसी संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं, तब भी इसका मतलब यह नहीं है कि इन अधिकारों के कारण गांव वालों के संचायती अधिकारों को हटाया जा सकता है।''

कई राज्यों में सरकारी आदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार, कुछ पैसों के बदले में ग्राम सभा भूमि को निजि और वाणिज्यिक उपक्रमों को दे दिया गया है। हमारे मत में ऐसे सभी सरकारी आदेश गैर-कानूनी हैं, और इन्हें अनदेखा कर दिया जाना चाहिए।''

इस संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उन्हें पता था कि कुछ वर्षों में सूखा पड़ सकता है, या किसी अन्य कारण से पानी की कमी हो सकती है, और मवेशियों के पीने, नहाने आदि के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने हर मंदिर आदि से जुड़े तालाब बनाए। यह उनके पारंपरिक वर्षा के पानी को संजोने के तरीके थे, जो कई हज़ार वर्षों तक उनके काम आए।''

केवल असाधारण स्थिति में नियमन किया जा सकता है, जैसे कि जहां किसी सरकारी अध्यादेश के अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों या अनुसूचित जाति/जनजातियों को लीज़ दी गई हो, या जहां पर पहले से स्कूल, दवाखाना या अन्य सार्वजनिक सेवा भूमि पर मौजूद हो।''

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए?

- राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राम सभा की भूमि से अनाधिकृत कब्ज़ों को हटाना सुनिश्चित करें और यह ज़मीनें ग्राम सभाओं को वापस लौटाई जाएं।
- राज्यों को निर्देश दिए गए कि वे अतिक्रमण हटाने के लिए स्कीमें तैयार करें।

  इन स्कीमों में यह प्रावधान किए जाएं:

  - कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जल्द-से-जल्द ''निष्कासन'', और उसके बाद एक सुनवाई।
- लंबे समय से चला आ रहा कब्ज़ा/निर्माण पर अत्यधिक ख़र्चा/राजनैतिक दबाव इन अतिक्रमणों के नियमन का कारण नहीं हो सकते।
- नियमन की अनुमति केवल असाधारण स्थितियों में दी जाए जहां कोई सार्वजनिक हित कारण हो।
- राज्यों को समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया।

WHAT DIRECTIONS DID THE SUPREME COURT GIVE?

- The State governments were directed to ensure the eviction of unauthorised occupants of Gram Sabha lands and the restoration of those lands to the Gram Sabhas.
- The States were directed to prepare schemes by way of which the eviction was to be done.

  The schemes were to provide for:

  - Speedy “Evictions”, after issuing a show cause notice followed by a brief hearing.
- Long durations of occupation/ huge expenditures in constructions/ political clout should not be reasons to permit the regularisation of the encroachments.
- Regularisation should be allowed in exceptional cases where a larger public interest is at hand.
- The States were also directed to submit compliance reports from time to time to the SC.

छत्तीसगढ़ में इस फैसले का क्या असर पड़ा?

छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हुआ और यह तुलनात्मक रूप से एक नया राज्य है। यहां विशाल वन भूमि क्षेत्र हैं और आदिवासियों की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इन वनों, और अन्य संचायती भूमि को कोयले और कच्चे लोहे के खनन तथा बिजली बनाने वाले उद्योगों से बड़ा खतरा है। इसके परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ के लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन लेकर गैर कानूनी रूप से भूमि–उपयोग को बदला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र पेसा अधिनियम के अंतर्गत अधिशासित है, जिसे जगपाल सिंह आदेश के प्रावधानों के साथ प्रभावकारी तरीके से राज्य के संचायती संसाधनों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है।

WHAT IMPLICATIONS DID THE JUDGEMENT HAVE ON CHHATTISGARH?

The state of Chhattisgarh broke away from Madhya Pradesh in the year 2000 and is a comparatively new state. It has large tracts of forest land and a significantly high tribal population. These forests, and other common lands are greatly threatened by coal and iron ore mining and power generating industries. As a result, the people of Chhattisgarh have been subjected to forceful acquisitions and illegal land use change. Most of Chhattisgarh's geographic area is governed by the PESA Act which along with the Jagpal Singh judgement can be used effectively to protect the common resources of the state.

WHAT ACTION HAS CHHATTISGARH TAKEN IN RESPONSE TO THE SUPREME COURT'S DIRECTIONS?

In response to the Jagpal Singh judgement, Chhattisgarh has taken the following action:

New administrative orders: Directions issued by the Principal Secretary, Revenue Department, Government of Chhattisgarh (10.03.2011): A letter was sent to the Divisional Commissioners (DC) and District Collectors (Collector) in the State with the following directions:-

- Prepare a list of common village lands as per settlement records of 1929-1930.
- Subsequently prepare a list of currently vacant common village lands.
- Upon identification, steps have to be taken to demarcate the lands and protect their existence.
- Then a list indicating the encroachments of common village lands is to be prepared.
- Steps for the recovery of possession to these lands must be initiated according to a proper legal procedure.
- Regularisation of encroached common village land must not be permitted.
- No future proposals of acquisition of common lands should be brought up for any project whatsoever.

Letter issued by the Chief Secretary of the State (02.04.2011): The letter, sent to the DCs and Collectors, asked them to ensure strict compliance with the directions issued on 10.03.2011.

It also asked them to submit the information regarding common village lands by 15.04.2011.

Reminder letter from the Principal Secretary, Revenue Department (20.04.2011): This was sent to those DCs and Collectors who had failed to submit the requisite information within the stipulated time period. They were asked to send in the information via a Special Messenger by 23.04.2011.

Reminder letter from the Joint Secretary, Revenue and Disaster Management Department (27.04.2011): It was sent to the DCs and Collectors, asking them to ensure strict compliance with the directions issued on 10.03.2011.

"According to Alok Shukla, Convenor of the Chhattisgarh Bachao Andolan, the Revenue and Disaster Management Department of Chhattisgarh in 2015-2016 issued a circular which allowed for common grazing lands to be acquired for industrial purposes, after taking the District Collector's permission and ensuring that an equal extent of land is earmarked for communal use. Although, the circular could not be located on the public domain, a Right to Information application can be filed with the Revenue and Disaster Management Department to procure the said information."

छत्तीसगढ़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में क्या कदम उठाए हैं?

जगपाल सिंह आदेश के जवाब में, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

नए प्रशासनिक आदेश: प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश (10-03-2011): राज्य के मण्डल कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों को एक पत्र भेजा गया जिसमें यह निर्देश दिए गए:

- 1929-1930 के बंदोबस्ती रिकार्ड के अनुसार संचायती ग्राम भूमि की सूचि बनाई जाए।
- इसके बाद, वर्तमान में खाली पड़ी संचायती ग्राम भूमि की सूचि बनाई जाए।
- पहचान कर लिए जाने के बाद, इस भूमि के सीमांकन और सुरक्षा के लिए कदम लिए जाएं।
- इसके बाद, संचायती ग्राम भूमि पर अतिक्रमणों की सूचि बनाई जाए।
- इस अतिक्रमण की गई भूमि का स्वमित्व वापस लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चलाई जाए।
- संचायती ग्राम भूमि पर अतिक्रमणों के विनियमीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- भविष्य में संचायती भूमि पर किसी भी प्रकार की परियोजना द्वारा अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र (02-04-2011): इस पत्र में मण्डल कमिश्नरों और ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 10-03-2011 को जारी किए गए निर्देशों का कड़े रूप से पालन करें।

इसमें यह भी कहा गया है कि 15-04-2011 तक संचायती ग्राम भूमि के विषय में सभी जानकारी जमा कर दी जाए।

प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग द्वारा स्मरण पत्र (20-04-2011): यह पत्र उन मण्डल कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों को भेजा गया जिन्होंने निर्धारित तिथि तक सारी जानकारी नहीं भेजी थी। उन्हें 23-04-2011 तक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से सारी जानकारी भेजने का आदेश दिया गया।

संयुक्त सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्मरण पत्र (27-04-2011): यह पत्र सभी मण्डल कमिश्नरों और ज़िला कलेक्टरों को भेजा गया, जिसमें उन्हें 10-03-2011 के निर्देशों का कड़े रूप से पालन सुनिश्चित करने के बारे में कहा गया।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के समन्वयक आलोक शुक्ला के अनुसार, 2015-16 में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने एक परिपत्र जारी किया जिसके अंतर्गत संचायती चरान भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया जा सकता है, जिसमें ज़िला कलेक्टर की अनुमति लेने के बाद सुनिश्चित करना होगा कि संचायती उपयोग के लिए उतनी ही ज़मीन कहीं और उपलब्ध कराई जाए। हालांकि, परिपत्र आम जानकारी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सूचना के अधिकार की अर्जी दर्ज करके उक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ऐसे कोई फैसले हैं जो संचायती भूमि की सुरक्षा से संबंध रखते हों?

ग्यान प्रकाश साहु और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य (2018 की जनहित याचिका सं. 11):

इस मामले में ग्राम पंचायत कोसरिया मरार (पटेल) समाज ने निस्तारी भूमि पर अतिक्रमण करके उस पर निर्माण कर लिया था। इस निर्माण को खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाना था। राज्य ने मामला दर्ज किया कि ग्राम पंचायत के विरोध में निस्तारी भूमि के अतिक्रमण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया लेकिन राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह अतिक्रमण के मामलों में जगपाल सिंह फैसले की कड़े रूप से अनुपालना सुनिश्चित करे।

अतुल दुबे और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2017 की जनहित याचिका सं. 77):

याचिका दायर करने वाले का दावा था कि उत्तरदाता सरकारी वन भूमि पर गैर-कानूनी रूप से एक कॉलोनी और सिनेमा हॉल बना रहे हैं। याचिकाकर्ता की प्रार्थना थी कि न्यायालय जगपाल सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और राज्य सरकार के 10-03-2011 के निर्देश की तर्ज पर उचित कदम उठाए। लेकिन न्यायालय ने यह संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण के संबंध में किसी भी उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया और ऐसा न किए जाने के कारण, भारतीय संविधान की धारा 226 के अंतर्गत याचिका को खारिज कर दिया गया।

ARE THERE ANY JUDGEMENTS OF THE CHHATTISGARH HIGH COURT ON PROTECTION OF THE COMMONS?

Gyan Prakash Sahu and Ors v. State of Chhattisgarh and Ors. (WPPIL No. 11 of 2018):

In this case, the Gram Panchayat Kosariya Marar (Patel) Samaj had encroached upon nistariland by constructing a building over it. The building was to be used for the purposes of composting. The State submitted that a case of encroachment of Government nistariland had been initiated against the Gram Panchayat. The Court thus dismissed the petition but asked the State to ensure strict compliance with the Jagpal Singh judgement while dealing with the encroachment.

Atul Dubey and Ors v. State of Chhattisgarh and Ors. (W.P. (PIL) No. 77 of 2017):

The petitioner claimed that the respondents were constructing a colony and a cinema theatre on Government Forest Land in violation of the laws in force. The petitioner therefore prayed that the Court take appropriate action in line with the judgement of the SC in Jagpal Singh and the State Government's order dated 10.03.2011. The Court however took note of the fact that the petitioner had not approached any of the competent authorities to deal with the encroachment and as a result of a failure to do so, the writ petition under Article 226 of the Indian Constitution was dismissed.

पंचायतें और चिंतित नागरिक क्या कदम उठा सकते हैं?

पंचायतें

- अपने अधिकार क्षेत्र में सभी संचायती संपत्ति संसाधनों का प्रबंधन करे;
- सुनिश्चित करे कि संचायती संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न हो;
- अतिक्रमण के प्रकार के बारे में पूछताछ करने के लिए सुनवाइयां आयोजित करे;
- यदि कोई गैर-कानूनी अतिक्रमण हो, तो उसे अतिशीघ्र हटाने के लिए कार्यवाही करे;
- सुनिश्चित करे कि किसी भी गैर-कानूनी अधिग्रहण के अनुचित विनियमीकरण की अनुमति न दी जाए।

चिंतित नागरिक

- राज्य में संचायती संपत्ति और उस पर अधिकारों की स्थिति के बारे में सचेत रहें;
- किसी विशिष्ट संचायती संपत्ति के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार प्राधिकरण को उस पर अतिक्रमण होने पर सूचित करें।

What action can the Panchayats and concerned citizens take?

PANCHAYATS

- Should manage all the common property resources within their jurisdiction;
- Ensure that there are no encroachments of common property;
- Conduct hearings to enquire about the nature of encroachment;
- Provide for speedy eviction of illegal encroachers, if any;
- Ensure that no unfair regularisation of illegal occupation is permitted.

CONCERNED CITIZENS

- Stay aware of overall status of commons and rights over common property in the state;
- Can make the authority responsible for managing the particular common property, aware of any encroachments on such land.

CENTRE FOR
POLICY
RESEARCH
NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT